मुकदमा संख्या 29/2023
अनवान मानाराम बनाम जगराम वगैरा

| तारीख हुकम | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 20.11.24 | पत्रावली पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता उपस्थित। शेष प्रतिवादी एकतरफा। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. व धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ग्राम खेड़ तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1216/996 क्षेत्रफल 0.9955 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि वागाराम भील वगैरा निवासी सांभरा द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 खीमाराम पुत्र उमाराम भील निवासी मूठली को दिनांक 03.12.2015 को बेचान की गई थी तथा खीमाराम द्वारा उक्त भूमि का मुख्तयारखास वालाराम पुत्र वागाराम को नियुक्त किया गया तथा दिनांक 03.9.2021 को उक्त भूमि की कृषि उपयोगिता समाप्त होकर औधोगिक प्रयोजनार्थ किस्म कायम हुई। खीमाराम द्वारा वालाराम को मुख्त्यारनामा नियुक्त किया गया और वालाराम के द्वारा उक्त औधोगिक किस्म की भूमि का बेचान का सौदा प्रतिवादी संख्या 01 जगाराम से 10,75,000/– रूपये रोकड़ प्राप्त कर तय किया गया। उक्त सौदा तय करने के बाद रकम प्राप्त कर इसी औधोगिक भूमि को खीमाराम द्वारा जानबूझकर कृषि के रूप में दर्शाते हुए उक्त भूमि की रजिस्ट्री वादीगण के हक में खीमाराम ने षड़यंत्र रचकर तकमील करवा दी गई। जबकि विवादित आराज़ी दिनांक 03.9.2021 से ही औधोगिक के रूप में दर्ज किए जाने के आदेश खीमाराम स्वंय द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। इस कारण वादग्रस्त आराजी की किस्म ही कृषि भूमि नहीं होने के बावजूद उक्त तथ्यों को छुपाते हुए विधि विरूद्व वाद पेश किया गया है,जो कि श्री न्यायालय में चल नहीं सकता है। अतं मे निवेदन किया कि प्रतिवादी का | |

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण ... खारिज किया जावें।

**इसके** विपरीत वादीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर लाए जाने के कारण खारिज योग्य है,क्योकि वादीगण का वाद श्री न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने के कारण ही पेश किया गया है। वादग्रस्त आराजी मौके पर औधोगिक भूमि के रूप में अवस्थित नहीं है व न ही उसका उपयोग–उपभोग औधोगिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा है। प्रतिवादी द्वारा धोखे से फर्जी एवं कुटरचित मुख्त्यारनामा तैयार कर कागजी तौर पर करवाया गया। तथाकथित फर्जी मुख्त्यारनामा के जरिए प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से कागजी तौर पर हस्तान्तरण किया गया,जिसे निरस्त करवाने की कार्यवाही वादी द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष की जा चुकी है। वादग्रस्त आराजी औधोगिक रूप में उपयोग उपभोग में नहीं लिए जाने से वादग्रस्त आराजी बाबत तमाम क्षेत्राधिकार श्री न्यायालय को प्राप्त है। प्रतिवादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रकरण को लम्बा करने की नियत से गलत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

**हमनें** दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि वादीगण की ओर से वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया। वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 हल्का पटवारी द्वारा जारी नकल प्रतिलिपि दिनांक 09.1.2024 मुताबिक ग्राम कलावा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1216/946 क्षेत्रफल 0.9955 हैक्टयर किस्म औधोगिक प्रयोजनार्थ दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ नही है। वादग्रस्त भूमि की किस्म औधोगिक

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

चलने योग्य नहीं है। क्योंकि हस्तगत प्रकरण विधि द्वारा वर्जित होने के कारण न्यायालय हाजा सुनवाई करने में सक्षम नहीं है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज योग्य है।

लिहाजा प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसर डिक्री पर्चा जारी हों।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

# मूलवाद में डिक्री पर्चा

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 29/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/86

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1.मानाराम पुत्र जैसाराम | | 1.जगराम पुत्र तुलसाराम जाति जाट |
| 2.गीतादेवी पत्नी मानाराम | | निवासी खारापार तहसील गिड़ा |
| जाति भील निवासी बस्ती सिलोर | | 2.खीमाराम पुत्र उमाराम जाति भील |
| तहसील समदड़ी | | निवासी मूठली तहसील सिवाना |
| | | 3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा |
| | | 4.उप पंजीयन अधिकारी कार्यालय जसोल |

राजस्व वाद बाबतः–188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 29/2023

निर्णय दिनांक :–20.11.2024

वादीगण की ओर से श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री उम्मेदसिंह चंपावत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 एकतरफा इस वाद में आज तारीख 20.11.2024 को श्री विवेक व्यास (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 20/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

### वाद के खर्चे

| वादीगण | | प्रतिवादीगण | |
|---|---|---|---|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प | रूपया | 1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | रूपया |
| 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | 2.अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | | 3.प्लीडर की फीस | ——— |
| 4.....रूपये पर प्लीडर की फीस | | 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | |
| 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय | – | 5.आदेशिका की तामील | |
| 6.कमिश्नर की फीस | | 6.कमिश्नर की फीस | |
| 7.आदेशिका की तामिल | | | |
| जोड़ | –' | जोड़ | ——— |

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा